दिनांक 18.07.2022
प्रेस विज्ञप्ति 18/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद हमीरपुर/थाना सुमेरपुर</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 12 हजार 100 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 18.07.2022 को थाना सुमेरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पंधरी तिराहा कस्बा सुमेरपुर से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 12 हजार 100 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हमीरपुर, कानपुर देहात आदि के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 35 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सुमेरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–198/2022 धारा 341/392/504/506 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रोहित निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 12 हजार 100 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दादरी

- **पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 11 हजार रूपये नगद**
- **05 स्मार्ट कार्ड, 04 पेन ड्राइव, 02 कार्ड रीडर, 01 अँगूठा लगाने वाली मशीन**
- **02 अवैध तमंचा 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 17.07.2022 को थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मायचा पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1–रोहित 2–विकास 3–आलम को गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 11 हजार रूपये नगद, 05 स्मार्ट कार्ड, 04 पेन ड्राइव, 02 कार्ड रीडर, 01 अँगूठा लगाने वाली मशीन, 02 अवैध तमंचा 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रोहित के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त आलम के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त विकास के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के थाना दादरी पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत हैं। दिनॉक:11.07.2022 को थाना दादरी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दादरी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना दादरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रोहित निवासी ग्राम सुनपुरा थाना इकोटेक—गौतमबुद्धनगर हाल निवासी नंगला बंशी थाना चोला, बुलन्दशहर ।

2—विकास निवासी धमेडा थाना चोला, बुलन्दशहर ।

3—आलम निवासी ग्राम समाउद्दीनपुर थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 11 हजार रूपये नगद।

2— 05 स्मार्ट कार्ड, 04 पेन ड्राइव, 02 कार्ड रीडर, 01 अँगूठा लगाने वाली मशीन।

3—02 अवैध तमंचा 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद गाजियाबाद/थाना टीला मोड</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 18.07.2022 को थाना टीला मोड पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बंथला नहर पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त परवेज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद बागपत, गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना टीला मोड पर पंजीकृत डकैती के अभियोग में वॉछित चल रहा था।

इस सम्बन्ध में थाना टीला मोड पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—परवेज निवासी मोहल्ला देवीगंज अमीनगर सराय थाना सिघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी

1—लूट के सोने के आभूषण।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—39

- **05 शातिर अभियुक्त**
- **लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, सिक्के आदि**
- **चोरी के 34 हजार रूपये नगद**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद**

दिनांक 18.07.2022 को थाना सेक्टर—39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महामाया बालिका इण्टर कालेज के पास चेकिंग के दौरान 05 शातिर अभियुक्तों 1—सुरेन्द्र

2—विक्रान्त उर्फ छोटू 3—नकुल कुमार 4—राहुल 5—सतीश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, सिक्के आदि, चोरी के 34 हजार रूपये नगद, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि थाना सेक्टर—39 पर पंजीकृत चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर—39 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुरेन्द्र निवासी नगली उम्रसेन थाना बी0बी0नगर जनपद बुलन्दशहर, हालपता ग्राम जट्टारी रोड कस्बा जहाँगीर थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।

2—विक्रान्त उर्फ छोटू निवासी उदयपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड।

3—नकुल कुमार निवासी उदयपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड।

4—राहुल निवासी नगला टोटा थाना मुडसान जनपद हाथरस, हालपता नगला कटक थाना बी0बी0नगर जनपद बुलन्दशहर।

5—सतीश निवासी कुचेसर थाना बी0बी0नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, सिक्के आदि।

2—चोरी के 34 हजार रूपये नगद।

3—03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 कार।

जनपद बस्ती/थाना पैकोलिया

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 18.07.2022 को थाना पैकोलिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर परसगना तिराहे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रामगोपाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पैकोलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0–120/2022 धारा 419/420/467/468/471 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पैकोलिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामगोपाल निवासी दौलतपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

जनपद कुशीनगर/थाना पटहेरवा

- **03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 28 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 18.07.2022 को थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बनकटा बाजार के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–साहब हुसैन 2–सुनील 3–रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 28 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जनपद कुशीनगर व आसपास के जनपदो से मोटरसाइकिल चोरी कर एवं चोरी के वाहनों को खरीद कर ग्राहक मिलने पर सस्ते दामों में बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पटहेरवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साहब हुसैन निवासी लोहरवलिया थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।

2–सुनील निवासी बनकटा बाजार थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।

3–रोहित कुमार निवासी कटेया वार्ड नं0–4 थाना कटेया जनपद गोपालगंज, बिहार।

बरामदगी

1–चोरी की 28 मोटर साइकिल।

जनपद हरदोई/थाना कछौना/थाना पाली

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 17.07.2022 को थाना कछौना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डबल नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्तों 1–रामजी 2–अमन को गिरफ्तार कर उनकी निशादेही पर क्राइम ब्रान्च व थाना पाली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 3–ललोरी 4–लालाराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 दो पहिया वाहन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कछौना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामजी निवासी पटियानींव कस्बा व थाना पाली जनपद हरदोई।

2–अमन निवासी पटियानींव कस्बा व थाना पाली जनपद हरदोई।

3–ललोरी निवासी पटियानींव कस्बा व थाना पाली जनपद हरदोई।

4–लालाराम निवासी पटियानींव कस्बा व थाना पाली जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–चोरी की 07 दो पहिया वाहन।

जनपद बरेली/थाना फरीदपुर

- **01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 12 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 155 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 18.07.2022 को थाना फरीदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुराना भुता रोड बाईपास के पास से मादक पदार्थ तस्कर मो0इरफान को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 155 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना फरीदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0इरफान निवासी मोहल्ला भूरे खां की गौटियाँ कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 12 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 155 ग्राम अवैध स्मैक।

2–01 मोबाइल फोन आदि

जनपद बरेली/थाना सिरौली

- **04 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **02 किलो 376 ग्राम अवैध अफीम**
- **01 बोलेरो वाहन बरामद**

दिनांक 18.07.2022 को थाना सिरौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान 04 मादक पदार्थ तस्करों 1– पूरनलाल उर्फ नेकसू

2–अखिलेश 3–विपिन 4–हेमराज को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 किलो 376 ग्राम अवैध अफीम, 01 बोलेरो वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सिरौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पूरनलाल उर्फ नेकसू निवासी कुण्डरिया फैजुल्लापुर थाना अलीगंज जनपद बरेली।

2–अखिलेश निवासी अंजनी थाना सिरौली जनपद बरेली।

3–विपिन निवासी अंजनी थाना सिरौली जनपद बरेली।

4–हेमराज निवासी मिलक मझारा थाना भमौरा जनपद बरेली।

बरामदगी

1–02 किलो 376 ग्राम अवैध अफीम।

2–01 बोलेरो वाहन।

- **जनपद फिरोजाबाद/थाना टूण्डला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 07 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–06/विशेष न्यायाधीश (दस्यू प्रभावी क्षेत्र) फिरोजाबाद द्वारा थाना टूण्डला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 396 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–यूसुफ उर्फ कालिया उर्फ रजी उर्फ यूनूस 2–तौकी उर्फ चेयरमेन 3–फौविन 4–साजिद उर्फ बिट्टू 5–मुनीष 6–डैनी 7–शेरखान उर्फ नाजिम को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना कोतवाली भिनगा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए.एस.जे./एफ.टी.सी. जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना कोतवाली भिनगा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—राजू 2—बजरंगी को सश्रम आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————